न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

पत्रावली संख्या : **01/24 (अपील)**

GCMS No. : 2024/23

अनवान्

1. श्रीमती सायरीबाई पत्नी छगनलाल जी जाति ब्राहमण उम्र 70 वर्ष, निवासी–माणक्यावास तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री लक्ष्मीलाल पिता छगनलाल जी जाति ब्राहमण उम्र 50 वर्ष, निवासी–माणक्यावास तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री हिम्मत पिता छगनलाल जी जाति ब्राहमण उम्र–46 वर्ष, निवासी–माणक्यावास तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती शीला पुत्री छगनलाल जी पत्नी कैलाश जी जाति ब्राहमण उम्र–42 वर्ष, निवासी–माणक्यावास हाल चन्देसरा तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्री दिनेश पिता छगनलाल जी जाति ब्राहमण उम्र 38 वर्ष, निवासी–माणक्यावास तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री नरेश पिता छगनलाल जी जाति ब्राहमण उम्र 35 वर्ष, निवासी–माणक्यावास तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

.............अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री माधवलाल पिता पोखरलाल जी जाति ब्राहमण उम्र 65 वर्ष, निवासी–माणक्यावास तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
2. ग्राम पंचायत मांगथला तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
3. पटवारी पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय घासा जिला–उदयपुर (राज०)

......................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित–1. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री आजाद सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्व निर्णय ग्रा.प. मांगथला, बाबत ना. सं. 839 दि. 20.09.2022

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 30.07.2024

1. अपीलाण्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत मांगथला बाबत् नामान्तरण संख्या 839 दिनांक 20.09.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील के [illegible] विवरण निम्न प्रकार है कि यह अपील ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा निर्णित नामान्तरण सख्या 839 दिनांक 20.09.22 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:42 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध की जा रही है। यह कि गावं माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला तहसील जिला–उदयपुर (राज०) में निम्न आराजीयात स्थित है जिसके खाता सख्या–186 नया की आराजी नम्बर–1055 रकबा 0.0647 हे., 1067 रकबा 0.2104 हे., 201 रकबा 0.1457 हे., 205 रकबा 0.0647 हे., 206 रकबा 0.0647 हे., 34 रकबा 0. 2023 हे., 37 रकबा 0.1942 हे., 39 रकबा 0.3237 हे., 397 रकबा 0.0486 हे., 398 रकबा 0.0405 हे., 624 रकबा 0.3642 हे. कुल किता–11 रकबा 1.7237 हे. है।

2. उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सख्या–1 के माधवलाल पिता पोखरलाल के नाम पर 5/6 हिस्से से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है। यह कि उक्त कलम सख्या–1 में वर्णितः आराजीयात पूर्व में हम अपीलार्थी सख्या–1 के पति व अन्य अपीलार्थीगण के पिता छगनलाल, माधवलाल, ताराबाई, नारीबाई, हेमलता एवं हीराबाई के नाम पर दर्ज थी। उक्त वर्णित आराजीयात पोखरलाल जी की विरासत से प्राप्त हुई थी।
3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात का 4/6 हिस्सा ताराबाई, नारीबाई, हेमलता एवं हीराबाई के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज था, जिसमें से 2/6 हिस्सा अर्थात कुलिया आराजीयात का 1/3 हिस्सा ताराबाई, नारीबाई, हेमलता एवं हीराबाई ने रेस्पोडेन्ट सख्या–1 माधवलाल के पक्ष में हक त्याग किया था तथा 2/6 हिस्सा अर्थात कुलिया आराजीयात का 1/3 हिस्सा छगनलाल के पक्ष में हक त्याग किया था, छगनलाल जी का निधन हो चुका है, हम अपीलार्थीगण उनके विधिक वारिस है।
4. यह कि ताराबाई, नारीबाई, हेमलता एवं हीराबाई द्वारा छगनलाल जी के पक्ष में कुलिया आराजीयात का 1/3 हिस्सा हक त्याग करने के बाद छगनलाल जी का उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा बनता है तथा 1/2 हिस्सा माधवलाल के पक्ष में हुऐ हक त्याग के बाद माधवलाल का बनता है अर्थात कलम सख्या–1 में वर्णित आराजीयात का 1/2 हिस्सा माधवलाल एवं 1/2 हिस्सा छगनलाल जी का बनता है, तथा इसी अनुसार नाम पर दर्ज होना चाहिये।
5. यह कि ताराबाई, नारीबाई, हेमलता एवं हीराबाई द्वारा हमारे पक्ष में हक त्याग करने के बाद छगनलाल जी द्वारा हक त्याग की प्रति पटवारी पटवार हल्का मांगथला को दी गई तथा उप पंजीयन मावली द्वारा भी नामान्तकरण हेतु हक त्याग की प्रति भेजी गई एवं नामान्तकरण के वक्त ऑनलाईन भी दर्ज किया गया फिर भी पटवारी पटवार हल्का मांगथला ने छगनलाल जी द्वारा प्रस्तुत किये गये हक त्याग में वर्णित हिस्सा माधवलाल के नाम पर दर्ज कर दिया एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

कुलिया आराजीयात में 5/6 हिस्सा माधवलाल के नाम पर दर्ज कर दिया जबकि माधवलाल का हक त्याग अनुसार कुलिया आराजीयात में 1/2 हिस्सा ही बनता है।

6. यह कि पटवारी ने माधवलाल द्वारा प्रस्तुत हक त्याग का बिना अध्ययन किये तथा राजस्व निरिक्षक द्वारा बिना जांच किये अपने कर्तव्यो में गौर लापरवाही रखते हुऐ हक त्याग में वर्णित हिस्से से अधिक हिस्से का नामान्तकरण माधवलाल के पक्ष में दर्ज कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है तथा पटवारी एवं राजस्व निरिक्षिक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाकर उन्हे उनकी लापरवाही की सजा दिलाना आवश्यक है।

7. यह कि छगनलाल जी का स्वर्गवारा हो जाने तथा हक त्याग उनके पक्ष में होने की वजह से उनके वारिस होने से हम अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। यह कि छगनलाल जी का स्वर्गवास हो जाने से इनके नाम दर्ज जमीन हमारे नाम पर करवाने के लिये हम अपीलार्थीगण ने नकले निकलवाई तो हमें दिनांक–26.12.2023 को अपील की कलम सख्या 1. में वर्णित जमीन छगनलाल जी के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज नही होने की जानकारी मिली जिससे जानकारी प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है।

8. यह कि दिनांक–20.09.2022 को खोला गया नामान्तकरण मेरे हितो के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। यह कि मुझे जानकारी मिलते ही मेरे द्वारा अपील अन्दर अवधि आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

9. अन्त में निवेदन किया कि उक्त नामान्तकरण अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 20.09.2022 को ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सख्या 839 में अपील की कलम सख्या–1 में वर्णित आराजीयात की हद् तक खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 1055, 1067 सहित कुल किता 11 रकबा 1.7237 में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि मेरे रखते हुए बाकि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के नाम करने में आपत्ति नहीं है अर्थात् कुल आराजीयात में 1/2 मुझ माधवलाल के रहेगी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

11. विद्वान अधिवक्ता अपी[illegible] अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 16:57:42 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 26.12.2023 को हुई। जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा तत्काल प्रभाव से नकल प्राप्त कर अपील पेश कर दी गई। अपील अन्दर मयाद पेश की गई हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाया जावें।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन् किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 839 दिनांक 20.09.2022 को ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 20.09.2022 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नामान्तरकरण पारित किया गया हैं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग का अवलोकन किये बिना ही पटवारी द्वारा अंकित किये गये हिस्से अनुसार ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया। क्योंकि रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जाता हैं। अपीलान्टगण के पिता के नाम भूमि 1/2 हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी। साथ ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि में मेरा 1/2 हिस्सा ही निहित हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर विधि विरूद्व निर्णय पारित करते हुए नामान्तरकरण पारित किया गया है जो विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं जो किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नहीं है। अतः उक्त अपील स्वीकार योग्य पाई जाती हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मांगथला द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 839 दिनांक 20.09.2022 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान को सूचित करते हुए रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अनुसार विधि सम्मत् नामान्तरकरण पारित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 13:57:42 IST
Reason: SelfAttested